पत्रिका

कोयला और राखड़ ओवरलोड वाहनों से सड़कों की दुर्दशा और प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए की अहम टिप्पणी

'यह कहकर जिम्मेदारी से बच नहीं सकते कि हम कोयला बेचते हैं, बाकी परिवहन करने वाले जानें, हम फोर्स लगाकर चेक करवाएंगे'

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

बिलासपुर. हाईकोर्ट ने कोयला और राखड़ ओवरलोड वाहनों के मामले में पलड़ा झाड़ने पर एनटीपीसी और एसईसीएल को जमकर फटकार लगाई। नाराज चीफ जस्टिस ने कहा कि आप यह कहकर जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते कि हम कोयला बेचते हैं, बाकी परिवहन करने वाला जाने। यह तो वही बात हो गई कि शराब बेचने वाला कहे हम शराब बेचते हैं बाकी पीने वाला जाने। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने इन कंपनियों की कार्य प्रणाली पर सख्त टिप्पणियां की। कोर्ट ने कोयला और राखड़ भरे ओवरलोड वाहनों के कारण सड़कें खराब होने और इस कारण हो रहे हादसों पर सवाल उठाए। राज्य शासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से कोर्ट ने कहा कि जहां भी ऐसे ओवरलोड वाहन दिखें, उनको जब्त किया जाए। कंपनियों को ओवरलोड वाहनों की समस्या दूर करने और मापदंडों के अनुसार परिवहन करने के निर्देश देते हुए कोर्ट ने एसईसीएल और एनटीपीसी को नया शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

शेष @पेज 10

कोर्ट रूम: क्या-क्या हुआ

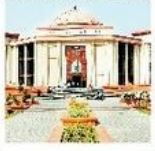

चीफ जस्टिस: आपके कारण कोई अस्थमा से मर जा रहा है, बरसात का मौसम है, सड़कें खराब है, कीचड़ है, आदमी चल नहीं पा रहा, एक्सीडेंट हो रहे हैं, इस तरह का रवैया मत रखिए।

कंपनी का तर्क: हम कोयला खदान से कोल प्रोडक्शन करते हैं। पर इसका ट्रांसपोर्टेशन हमारे द्वारा नहीं किया जाता, इसे खरीदने वाले ट्रांसपोर्ट करते हैं।

चीफ जस्टिस: क्या बात है भाई यह तो बड़ी अच्छी बात कह दी आपने। हमने परिवहन का काम ट्रांसपोर्टर को दे दिया है यह कहकर आप अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। आपके कोल परिवहन करने वाले 18 चक्के वाली गाड़ियों से सड़कें धंस रही हैं। 5 किलोमीटर में 25 गड्ढे हो गए हैं, जो हम आपको दिखा सकते हैं और आप कहते हैं कि ये हमारी जवाबदारी नहीं है हम केवल कोयला प्रोडक्शन करते हैं, कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा है तो हम ट्रांसपोर्टिंग बंद करवा देते हैं, आप रखे रहिए अपना कोयला अपने पास।

एसईसीएल एडवोकेट: हम बैरियर के फोटोग्राफ्स दे देंगे, कोयले का परिवहन पूरे नियम कानून के साथ किया जाता है।

चीफ जस्टिस: हम खुद ट्रैवल करते हैं। हम खुद आपको फोटो खींचकर दे देंगे की क्या स्थिति है। आप तो कोल वाले हैं, आप कोल परिवहन कर रही गाड़ियों की ओर देखेंगे नहीं, उल्टा दूसरी तरफ मुंह घुमा लेंगे। हमने एसईसीएल की लिटिगेंसी देखी हैं, आप एसईसीएल वाले तो एक मजदूर के लिए बड़े से बड़ा वकील खड़ा कर देते हैं ताकि उसे नौकरी ना मिले।

24/07/2025 | Raipur City | Page : 3
Source : https://epaper.patrika.com/